सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **80/2006** दायर दिनाँक **13.07.2006**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र नारायणसिंह, (फौत),— 01/01 श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 मंजूकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 रंजनकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 2. तेजपालसिंह पुत्र नारायणसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—डाबड़ा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गुमानसिंह पुत्र सरदारसिंह, 2. पृथ्वीसिंह पुत्र भौमसिंह, 3. जसवन्तसिंह पुत्र भौमसिंह, 4. खींवसिंह पुत्र बालसिंह, के कायममुकाम— 4/1 रघुवीरसिंह के कायम मुकाम— 4/1/1 सुप्यारकँवर पत्नी स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/2 देवीसिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/3 श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/4 किरणकँवर पुत्री स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/5 दुर्गाकँवर पुत्री स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/2 भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/3 गंगासिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/4 बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/5 दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/6 भँवरी कंवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/7 सजनकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/8 सुमनकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/9 सुरज्ञानकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 5. उगमसिंह पुत्र बालसिंह, के कायम मुकाम— 5/1 हनुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह, के कायम मुकाम—

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		5/1/1 नवरंगकँवर पत्नी स्वर्गीय हनुमानसिंह, 5/2 अमरसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह, 5/3 शक्तिसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह, 5/4 समदरकँवर पुत्री स्वर्गीय उगमसिंह, 5/5 सदाकँवर पुत्री स्वर्गीय उगमसिंह, 5/6 रंजनकँवर पत्नी स्वर्गीय उगमसिंह, 6. भवानीसिंह पुत्र बालसिंह, 7. धनसिंह पुत्र शिवबक्ससिंह, के कायम मुकाम– 7/1 रावतसिंह पुत्र स्वर्गीय धनसिंह, 7/2 सुप्यारकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/3 मनोहरकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/4 सन्तोषकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/5 कैलाशकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/6 उगमकँवर पत्नी स्वर्गीय धनसिंह, 8. मानसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 9. अमरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री मो0 इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डाबड़ा में खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 02.19 बीघा भूमि जिसके नये वर्तमान खसरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा है। पुराना खसरा नम्बर 161 रकबा 02.19 बीघा में से 1/2 हिस्सा पर सम्वत् 2014 की गिरदावरी में 1/2 हिस्सा पर हजारी महाजन व 1/2 हिस्सा में वादीगण के पिता नारायणसिंह के कब्जाकाश्त की रही है। वर्तमान खतौनी, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2020 तक दावा के साथ पेश है।

पुराना खसरा नम्बर 161 रकबा 02.19 बीघा में से 1/2 हिस्सा पर कब्जाकाश्त गॉवचौधरी ने सम्वत् 2017 में वादीगण के पिता के नाम नोट गिरदावरी में दर्ज है तथा उक्त भू–भाग पर कब्जाकाश्त वादीगण के पिता के समय से आज तक वादीगण का चला आ रहा है। नकल गिरदावरी पेश है।

उक्त नया खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा भूमि पर कब्जाकाश्त वादीगण के पिता नारायणसिंह के पक्ष में अन्य खातेदारान् जो नारायणसिंह के काका बाबा थे, ने दिनाँक 26.07.1966 को एम.ओ. कैम्प–मौलासर को लिख कर दे दी व सभी भाइयों (पक्षकारों) ने अपने हस्ताक्षर कर दिये जिसको तत्कालीन सरपंच ने प्रमाणित भी कर दी। नकल पेश है। वादीगण के पिता के पक्ष में एक लिखत उक्त बाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा की पक्षकारान् ने 31.05.1957 को कर दी। नकल पेश है।

उक्त खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा भूमि वादीगण के पिता के समय से कब्जाकाश्त आज दिन तक वादीगण का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है तथा वादीगण को आश्वासन देते रहे कि भूमि आपकी है, जब आप कहोगे, आपके नाम करवा देंगे। मगर अब प्रतिवादीगण की नियत में लालच आ गया है इसलिए वादीगण को उक्त भू भाग पर बिना हक अधिकार के वादीगण के अधिकारों को चुनौति देने लगे इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया।

वादीगण दिनाँक 04.06.2006 को अपने कब्जाकाश्त के उक्त भाग में हमेशा माफिक गये तो प्रतिवादीगण आमादा फिसाद हुई व एलानियां धमकी दी कि उक्त बाड़ा की भमि से बेदखल कर देंगे। यदि वादीगण उनके खेत खसरा नम्बर 194 से बेदखल कर दिया तो अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया।

बिनाय दावा दिनाँक 31.05.1957 से तथा दिनाँक 26.07.1966 में वादीगण के पक्ष में लिखत करने से तथा दिनाँक 04.06.2006 को उक्त भाग में बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुई है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद डाबड़ा खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा घोषित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–80 / 2006
दायर दिनाँक 13.07.2006, निर्णय दिनाँक 05.12.2017
भँवरसिंह, वगैरा बनाम गुमानसिंह, वगैरा।

02 ता 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रकरण में निम्न विवाद्यक नियत किये गये:–

1. आया पुराना खसरा नम्बर 161 रकबा 02.19 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा में से 1/2 हिस्सा की वादीगण घोषणा करवाने का अधिकारी है?

(वादीगण)

2. आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा में से 1/2 हिस्सा में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।?

(वादीगण)

3. आया खसरा नम्बर 194 में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा है?

(प्रतिवादी नम्बर 01)

4. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में PW–01 मानसिंह के बयान, PW–02 भँवरसिंह के बयान, PW–03 भागीरथसिंह के बयान, PW–04 गंगासिंह, PW–05 पृथ्वीसिंह के बयान, PW–06 उगमसिंह के बयान, PW–07 रावतसिंह के बयान, पेश हुए।

वादी संख्या 01 भँवरसिंह की ओर से संशोधित शीर्षक पेश हुआ जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया।

वादी की ओर से गवाहान प्रस्तुत हुए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में पर्तमान खतौनी प्रदर्श–01, खसरा मिलान प्रदर्श–02, गिरदावरी सम्वत् 2010–2019 प्रदर्श–03, लिखित प्रदर्श–04 की जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–04/01, उप सरपंच की लिखित छायाप्रति प्रदर्श–05 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–05/01 है, लिखित दिनाँक 1957 प्रदर्श–06 जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–06/01 है।

प्रतिवादी की ओर से गवाह में स्वयं PW–06 शपथ–पत्र पेश किया। प्रतिवादी ने प्रदर्श–04 पर अपने हस्ताक्षर करके राजीखुशी की है, का कथन स्वीकार किया। प्रतिवादी ने अपनी ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही कोई अन्य कोई पेश किये हैं।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहा है। शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–80 / 2006
दायर दिनाँक 13.07.2006, निणर्य दिनाँक 05.12.2017
भँवरसिंह, वगैरा बनाम गुमानसिंह, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, इस खसरा की सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 69/2006 दायर दिनाँक 13.07.2006

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र नारायणसिंह, (फौत),– 01/01 श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 मंजूकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 रंजनकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 2. तेजपालसिंह पुत्र नारायणसिंह, समस्त जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. गुमानसिंह पुत्र सरदारसिंह, 2. पृथ्वीसिंह पुत्र भीमसिंह, 3. जसवन्तसिंह पुत्र भीमसिंह, 4. खींवसिंह पुत्र बालसिंह, के कायममुकाम– 4/1 रघुवीरसिंह के कायम मुकाम– 4/1/1 सुप्यारकँवर पत्नी स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/2 देवीसिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/3 श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/4 किरणकँवर पुत्री स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/1/5 दुर्गाकँवर पुत्री स्वर्गीय रघुवीरसिंह, 4/2 भँवरसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/3 गंगासिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/4 बजरंगसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/5 दशरथसिंह पुत्र स्वर्गीय खींवसिंह, 4/6 भँवरकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/7 सजनकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/8 सुमनकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 4/9 सुरज्ञानकँवर पुत्री स्वर्गीय खींवसिंह, 5. उगमसिंह पुत्र बालसिंह, के कायम मुकाम– 5/1 हनुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह, के कायम मुकाम– 5/1/1 नवरंगकँवर पत्नी स्वर्गीय हनुमानसिंह, 5/2 अमरसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह, 5/3 शक्तिसिंह पुत्र स्वर्गीय उगमसिंह,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		5/4 समदरकँवर पुत्री स्वर्गीय उगमसिंह, 5/5 सदाकँवर पुत्री स्वर्गीय उगमसिंह, 5/6 रंजनकँवर पत्नी स्वर्गीय उगमसिंह, 6. भवानीसिंह पुत्र बालसिंह, 7. धनसिंह पुत्र शिवबक्ससिंह, के कायम मुकाम– 7/1 रावतसिंह पुत्र स्वर्गीय धनसिंह, 7/2 सुप्यारकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/3 मनोहरकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/4 सन्तोषकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/5 कैलाशकँवर पुत्री स्वर्गीय धनसिंह, 7/6 उगमकँवर पत्नी स्वर्गीय धनसिंह, 8. मानसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 9. अमरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण व श्री मो0 इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा शरहद डाबड़ा में खसरा नम्बर 194 रकबा 01.10 में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, इस खसरा की सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–80–2006/रीडर/2017/ 1168 दिनाँक 21/12/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र नारायणसिंह, (फौत),– 01/01 श्रवणसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/02 भूपेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/03 मंजूकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 01/04 रंजनकँवर पुत्री स्वर्गीय भँवरसिंह, 2. तेजपालसिंह पुत्र नारायणसिंह, समस्त, जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गुमानसिंह पुत्र सरदारसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner